परिपत्र संख्या–30 /सामा–1(5)/2019

प्रेषक,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग,उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक– 01 अक्टूबर 2019

विषयः– कारागारों में निरूद्ध बंदियों को उपचार हेतु बाह्य चिकित्सालयों में उपचार के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल प्रस्तर–1058(क) सपठित परिपत्र संख्या–7/सामा–1(5), दिनॉक 29.06.1994,परिपत्र संख्या–46/सामा–1(5)/56चिकि0,दिनॉक 06.08.1997 (छायाप्रति संलग्न–1) में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के परामर्श एवं परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार की पूर्व अनुमति के पश्चात किसी बन्दी को, जो ऐसी बीमारी से ग्रसित हो, जिसका समुचित उपचार कारागार चिकित्सालय में नहीं किया जा सकता हो अथवा जिसका सर्जिकल आपरेशन आवश्यक हो, को कारागार चिकित्सालय से बाहर जिला चिकित्सालय अथवा प्रदेश के अन्दर अन्य विशेषज्ञ चिकित्सा संस्थाओं में वरिष्ठ अधीक्षक/ अधीक्षक कारागार द्वारा सन्दर्भित किया जा सकता है। यदि मुख्य चिकित्साधिकारी की राय में परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार से पूर्व अनुमति प्राप्त करने में लगने वाला समय बन्दी के स्वास्थ्य के लिए घातक है, तो अधीक्षक द्वारा ऐसे बन्दी को जिला चिकित्सालय/विशेषज्ञ चिकित्सा संस्था में सन्दर्भित करते हुए एक रिपोर्ट परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार को भेजकर उसका कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

मुख्यालय के परिपत्र संख्या–46/सामा–1(5)/56/चि0 दिनांक 06.08.1997 द्वारा किसी बन्दी को किसी अन्य प्रदेश में स्थित मेडिकल कालेज अथवा चिकित्सकीय संस्थान में उपचार हेतु स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति महानिरीक्षक कारागार, उत्तर प्रदेश द्वारा उस स्थिति में प्रदान किये जाने की व्यवस्था दी गयी है जबकि मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा यह प्रमाण–पत्र दिया जाय कि बन्दी की बीमारी का उपचार प्रदेश में स्थित चिकित्सा सम्बन्धी किसी भी संस्थान में संभव नहीं है।

उपरोक्त परिपत्र द्वारा निर्गत व्यवस्था का अनुपालन कराये जाने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कतिपय कारागारों द्वारा यह समस्या व्यक्त की जा रही है कि मेरठ व सहारनपुर मण्डल के जनपदों में एस0जी0पी0जी0आई0,लखनऊ तथा आई0एम0एस0, बी0एच0यू0,वाराणसी की दूरी अधिक होने तथा बीमारी की गंभीरता की स्थिति में निरंतर फॉलोअप विजिट्स हेतु पुलिस गार्ड उपलब्ध न होने के कारण बन्दी के उपचार में विलम्ब तथा व्यवधान उत्पन्न होता है, जबकि नई

दिल्ली के चिकित्सालयों में बन्दी को भेजे जाने पर समय से निरन्तर उपचार की सुविधा उपलब्ध हो जाती है।

कारागारों द्वारा उठाई गयी उक्त समस्या पर गहन विचार–विमर्श के उपरान्त यह पाया गया कि वर्तमान समय में बन्दियों को समयान्तर्गत एवं निरन्तर उपचार उपलब्ध कराना कारागार की प्राथमिकता है तथा उपचार में विलम्ब की दशा में बन्दी की मृत्यु हो जाने पर न्यायिक जॉच में कारागार अधिकारियों को दोषी मानते हुए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भी बन्दी के परिजनों को क्षतिपूर्ति के रूप में धनराशि स्वीकृत कर दी जाती है।

उपरोक्त परिस्थितियों में मुख्यालय के परिपत्र संख्या–46/सामा–1(5)/56चि0, दिनांक 06.08.1997 में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :–

किसी अन्य प्रदेश में स्थित राजकीय मेडिकल कालेज अथवा चिकित्सा संस्थान में उपचार हेतु स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति महानिरीक्षक कारागार, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदान की जाएगी। ऐसे मामलों में स्वीकृति मांगे जाते समय मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जायेगा कि बन्दी इस प्रकार की बीमारी से ग्रस्त है,जिसका उपचार शासनादेश संख्या–30/2018/697जे/22–5–2018–108एच0आर0सी0/2014, दिनांक 10.03.2018(छायाप्रति संलग्न–2) के प्रस्तर–2.2 में उल्लिखित किसी मण्डल हेतु निर्धारित राजकीय मेडिकल कालेज में सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार बन्दियों के उपचार के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(आनन्द कुमार)
पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0– /सामा–1(5)/2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आनन्द कुमार)
पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।